

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 381] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 1970/प्राश्विन 29, 1892
 सं० 381] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 1970/ASVINA 29, 1891

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
 as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October 1970

S.O. 3486.—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do for the development of the export trade of India, that frozen lobster tails should be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within thirty days of the date of the publication of this notification to the Export Inspection Council, "World Trade Centre", 14/1-B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-1.

Proposals

(1) To notify that frozen lobster tails shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Frozen Lobster Tails (Inspection) Rules, 1970, set out in Annexure I to this notification as the type of inspection which would be applied to such frozen lobster tails;

(3) To recognise the specifications as set out in Annexure II to this notification the standard specifications for the frozen lobster tails;

(4) To prohibit the export, in the course of international trade of such frozen lobster tails, unless the same are accompanied by a certificate issued by any of the Export Inspection Agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the said commodity conforms to the standard specifications as recognised under sub-paragraph (3) and are export-worthy.

3. Nothing in this notification shall apply to export by sea, land or air of frozen lobster tails as samples to the prospective buyers, provided that each such sample does not weight more than two kilograms

ANNEXURE I

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963)

1. *Short title and commencement*—(i) These rules may be called the Export of Frozen Lobster Tails (Inspection) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the

2. *Definitions*.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(1) "Agency" means the Export Inspection Agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(2) "frozen lobster tails" includes the following species of *Panulirus*, prepared by quick freezing, with heads completely removed:—

(a) *Panulirus homarus*.

(b) *Panulirus ornatus*.

(c) *Panulirus polyphagus*.

3. *Basis of Inspection*.—Inspection of frozen lobster tails intended for export shall be carried out with a view to seeing that the frozen lobster tails conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

4. *Procedure of Inspection*.—(1) An exporter intending to export frozen lobster tails shall submit an application to the nearest office of the Agency, giving particulars of the consignment intended to be exported, to enable it to examine such consignment or cause the same to be examined to see whether the same conforms to the specifications referred to in rule 3.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be made not less than seven days before the anticipated time of despatch of the consignment from the exporter's premises.

(3) On receipt of the application referred to in sub-rule (2) the Agency shall inspect the consignment and satisfy itself that the consignment complies with the requirements of the recognised specifications. The exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If, on such inspection of the consignment, the Agency is satisfied that the same conforms to the recognised specifications and has been packed and marked according to these rules, it shall issue a certificate declaring the consignment as export-worthy.

5. *Packing and making for export*.—(1) The frozen lobster tails shall be packed either according to the specifications recognised under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), or in a manner agreed to between the exporter and the foreign buyer.

(2) Each package and each master carton containing such package shall be marked, either in full or in codes, with indelible ink with the following particulars:—

- (a) Name and grade of the material,
- (b) Name and address of the exporter,
- (c) Lot number/batch of production,
- (d) Net weight of contents, and
- (e) Date of packing.

6. *Place of inspection.*—(1) Inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the exporter's premises, which shall be well lighted and maintained in sanitary and hygienic conditions. Necessary facilities for weighing, packing and inspection shall be provided at the premises by the exporter.

(2) In addition to the inspection at the premises mentioned in sub-rule (1), the Agency may exercise such supervision of the inspected consignment at any place of storage or transit prior to its shipment as it may consider necessary for satisfying the purposes of these rules.

7. *Inspection fees.*—A fee at the rate of ten paise per kilogram of the material, subject to a minimum of thirty rupees per consignment, shall be paid to the Export Inspection Agency as inspection fee under these rules.

8. *Appeal.*—(1) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 4, may, within two days of receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts, consisting of not less than three persons as may be appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The quorum for the panel shall be three.

(3) The decision of the said panel on such appeal shall be final.

ANNEXURE II

Specifications for frozen lobster tails

General	Types	Size-grades (based on weight per piece)	Bacteriological Standards	Packing and storage
1	2	3	4	5
		Grade Size		
Frozen lobster tails shall be prepared by quick-freezing the tails obtained from fresh lobsters. The processing shall be carried out in a premises maintained in hygienic manner. The material, on thawing, shall be clean having an attractive characteristic appearance. It shall in every way be in a sound intact, undamaged condition and free from defects. The meat shall have the characteristic colour and odour of freshly caught lobsters and shall not have any discolouration or off odour. The material shall be free from eggs, sand, dirt and any other extraneous matter.	Depending upon the colour of the meat, the frozen lobster tails shall be of two types, namely (i) Snow white to white (ii) Light pink to deep pink	Super jumbo- Above 340 gms. Jumbo-285 to 340 gms. Large-225 to 284 gms Medium-170 to 224 gms. Small-115 to 169 gms Extra Small- 50 to 114 gms Tiny-Below 50 gms.	Total bacterial count per gram, maximum 400000 E. Coli, per gram maximum-20 Salmonella and other pathogenic bacteria- Nil	Lobster tails shall be wrapped individually in moisture proof film or arranged in blocks before freezing. The frozen product shall be packed in seaworthy corrugated card board boxes. The frozen material shall be stored in a room maintained at or below minus eighteen degree centigrade temperature.

[No. 60 (46)/Exp. Insp./68]

P. K. SAMAL, Jt. Secy

विदेशी व्यापार संज्ञासूचक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1970

का० आ० 3486.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है कि सिगा मछली के प्रशोधित पृष्ठभाग को निर्यात से पूर्व गुण नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होना चाहिए।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव तैयार किये हैं—
निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम II के उपनियम (2) द्वारा परिशिष्ट उन्हें निर्यात निरीक्षण परिषद् को अभिप्रेषित किया है ;

अतः, अब, उक्त उपनियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्थापनाओं का जनता का, जिसका उनके द्वारा प्रभावित होना सम्भाव्य है, जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित करती है।

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो उक्त प्रस्थापनाओं की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव भेजना चाहे, उसे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के तीस दिन के भीतर नियमित निरीक्षण परिषद्, "बल्ड ट्रेड सेंटर" 14/1, बी, इजरा स्ट्रीट (7वीं मंजिल), कलकत्ता-1, को भेज सकता है।

प्रस्थापनाएं

- (1) यह अधिसूचित करना कि सिगा मछली के प्रशोधित पृष्ठभाग निर्यात से पूर्व गुण नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे ;
- (2) इस अधिसूचना के उपबन्ध 1 में उपर्युक्त सिगा मछली के प्रशोधित पृष्ठभाग का (निरीक्षण), नियम, 1970 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण का प्रकार निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो सिगा मछली के ऐसे प्रशोधित पृष्ठभाग पर निर्यात से पूर्व लागू किए जायेंगे ;
- (3) इस अधिसूचना के उपबन्ध 11 में उपर्युक्त विनिर्देशों को सिगा मछली के प्रशोधित पृष्ठभाग के लिए मानक विनिर्देश के रूप में मान्यता देना ;
- (4) सिगा मछली के प्रशोधित पृष्ठभाग के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में निर्यात पर तब तक प्रतिषेध लगाना जब तक कि उसके साथ निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक के द्वारा जारी किया गया इस प्रभाव का प्रमाणपत्र न हो कि उक्त वस्तुएं उपर्युक्त (3) के अंतर्गत यथा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं और निर्यात के योग्य हैं।

3. इस अधिसूचना की कोई भी बात सिगा मछली के प्रशोधित पृष्ठभाग के नमूनों की समुद्र, स्थल या वायु द्वारा भावों श्रैताओं को निर्यात करने पर लागू नहीं होगी, परन्तु यह तब जब कि प्रत्येक ऐसे नमूने का तोल दो किलोग्राम से अधिक नहीं होगा।

उपबन्ध I

नियति (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 अधीन बनाएँ जाने वाले स्थापित नियमों का प्रारूप ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारूप—

(1) ये नियम झिगा मछली के प्रशोधित पृष्ठभाग का नियति (निरीक्षण) नियम, 1970 कहें जा सकेंगे ।

(2) ये को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएँ : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) “अभिकरण” से नियति (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित नियति निरीक्षण अभिकरण, अभिप्रेत है ;

(2) “झिगा मछली के प्रशोधित पृष्ठभाग” में संपूर्णतः सिर हटाई हुई शीघ्र प्रशीतन द्वारा तैयार की गई, पानुलिरस की निम्नलिखित जातियाँ सम्मिलित हैं :—

(क) पानुलिरस होमारस

(ख) पानुलिरस औरनाटस

(ग) पानुलिरस पोलिकागस

3. निरीक्षण का आधार :—नियति के लिए आशयित झिगा मछली के प्रशोधित पृष्ठभाग का निरीक्षण यह देखने के अभिप्राय से किया जाएगा कि झिगा मछली के प्रशोधित पृष्ठभाग का नियति (गुण नियंत्रक और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप हैं ।

4. निरीक्षण का प्रारूपः—

(1) झिगा मछली के प्रशोधित पृष्ठभाग के नियति का आशय रखने वाला नियति-कर्त्ता अभिकरण के निकटतम कार्यालय को, नियति किये जाने को आशयित परेषण की विशिष्टियों को देते हुए एक आवेदन भेजेगा ताकि वह यह देखने के लिए कि नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों के वह अनुरूप है, ऐसे परेषण की परीक्षा करने में या उसकी परीक्षा करने में या उसके परीक्षा कराने में समर्थ हो ।

(2) उपनियम (1) के अधीन हुए आवेदन, नियतिकर्त्ता के परिसर से प्रेषण के पूर्वानुमानित तारीख से साठ दिन से अन्यून पूर्व किया जायेगा ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर अभिकरण परेषण का निरीक्षण करेगा और अपना समाधान करेगा कि परेषण मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है । ऐसे निरीक्षण को कार्यान्वित करने में अभिकरण को समर्थ बनाने के लिये नियतिकर्त्ता सभी आवश्यक सुविधायें देगा ।

(4) यदि, परेषण के ऐसे निरीक्षण पर अभिकरण का समाधान हो जाए कि वह मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है और इन नियमों के अनुसार पैक और चिह्नित कर दिया गया है तो वह परेषण को नियति योग्य घोषित करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

5. निर्यात के लिए पैक करना और चिन्हन करना—

- (1) निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुसार या निर्यातकर्ता और विदेशी क्रेता के बीच करार किए गए रीति में शिगा मछली के प्रशोधित पुण्डभाग पैक किए जाएंगे।
- (2) प्रत्येक पैकेज और प्रत्येक मास्टर कार्टन जिसमें ऐसे पैकेज हों या तो पूरे या कूट में, निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ अमिट स्याही से चिह्नित किया जाएगा :—
 - (क) सामग्री का नाम और श्रेणी,
 - (ख) निर्यातकर्ता का नाम और पता,
 - (ग) लाट संख्या/उत्पादन का बैच,
 - (घ) अर्तवस्तुओं का शुद्ध वजन और
 - (ङ) पैकिंग की तारीख।

6. निरीक्षण का स्थान :

- (1) इन नियमों के प्रयोजनार्थ निरीक्षण निर्यातकर्ता के परिसर में किया जाएगा जिसे अच्छी तरह से प्रकाशमय और साफ और स्वास्थ्यकर अवस्था में बनाए रखा जाएगा। निर्यातकर्ता द्वारा परिसर में तोलने, पैकिंग करने और निरीक्षण करने की आवश्यकता सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।
- (2) उपनियम (1) में वर्णित परिसर पर निरीक्षण के अतिरिक्त ऐसे निरीक्षण परीक्षण का भंडार में या अभिवहन के किसी भी स्थान पर उसके पोत लदान से पूर्व अभिकरण ऐसा पर्यवेक्षण कर सकेगा जैसा वह इन नियमों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये आवश्यक समझे।

7. निरीक्षण फीस—इन नियमों के अधीन सामग्री के प्रति किलोग्राम वस पैसे की दर से निर्यात निरीक्षण फीस प्रति परीक्षण तीस रुपये न्यूनतम के अध्येक्षीन अभिकरण को निरीक्षण फीस के रूप में संदत्त की जाएगी।

8. अपील—

- (1) नियम 4 के उपनियम (4) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार कर दिये जाने से व्यक्ति कोई निर्यातकर्ता, ऐसे इनकार की प्राप्ति के दो दिन के भीतर, इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल को जिसमें तीन से अन्यून व्यक्ति होंगे अपील कर सकेगा।
- (2) पैनल की गणपूर्ति तीन होगी।
- (3) ऐसी अपील पर उक्त पैनल का विनिश्चय अंतिम होगा।

उपाध्व II

झिगा मछली का प्रशीतित पृष्ठभाग, के लिए विनिर्देश ।

साधारण 1	प्रकार 2
झिगा मछली का प्रशीतित पृष्ठभाग, ताजी झिगा मछली से प्राप्त पृष्ठभाग को शीघ्र प्रशीतन द्वारा तैयार किया जाएगा स्वास्थ्यकर रीति से बनाए रखे गए परिसर में संसाधन किया जाएगा ।	मांस के रंग पर निर्भर, झिगा मछली के प्रशीतित पृष्ठभाग दो प्रकार के होंगे, अर्थात् :— (i) हिमश्वेत से श्वेत । (ii) हल्का गुलाबी से गहरा गुलाबी ।

सामग्री, हिमद्रवण करने पर, साफ आकर्षक विशिष्ट रूप लिए होगी । यह सब प्रकार से स्वस्थ अविकल, अच्छी अवस्था में और दोषमुक्त होगी । मांस विशिष्ट रंग का और ताजी पकड़ी गई झिगा मछली की गंध का होगा और उसमें कोई विवर्णता या दुर्गन्ध नहीं होगी सामग्री, अंडों, बालू गन्धगी और किसी अन्य बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी ।

आकार श्रेणियां 3	(प्रति टुकड़े तौल पर माधारित) 4	जीवाणु मानक 5	पैकिंग और भण्डारकरण 6
श्रेणी	आकार		
सुपर जम्बो	340 ग्राम से अधिक	प्रति ग्राम कुल जीवा- ण्विक संख्या, अधिक-	प्रशीतन के पूर्व झिगा मछली
जम्बो	285 से 340 ग्राम तक	तम—400000 इ०	के पृष्ठभाग नमोसह
बड़ा	225 से 284 ग्राम तक	कोलि, प्रति ग्राम,	फिल्म में अलग-अलग
मध्यम	170 से 224 ग्राम तक	अधिकतम—20	लिपटे या खण्डों में व्य-
छोटा	115 से 169 ग्राम तक	सालमोनेल्ला और	वस्थित होंगे ।
छोटा	50 से 114 ग्राम तक	अन्य रोगजनक जीवाणु	प्रशीतित उत्पाद तारण-
टिनि	50 ग्राम से कम	—कुछ नहीं	योग्य गल्ले के नालीदार बक्सों में पैक किया जाएगा ।
			प्रशीतित सामग्री को अठारह डिग्री सेंटीग्रेड या कम तापक्रम पर रखे गए कमरे में रखा जाएगा ।

[सं० 60(46)/नि० नि०/68.]

पी० के० सामल, संयुक्त सचिव ।